

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलकटर, बुढाना जिला झुन्डुनू
पीठासीन अधिकारी:-
सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 141/2022

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/442

1. श्रीतान सिंह पुत्र बल्लाराम जाति जाट निवासी टाणी हुक्मा तहसील बुढाना जिला
झुन्डुनू राज0

बनाम

.....वादी

1. कमल पुत्र शेर सिंह
2. ख्यालीराम पुत्र देवकरण
3. चादकौर पुत्री बल्लाराम
4. धनकौरी पुत्री श्योचन्द
5. नरेश पुत्र बुद्धराम
6. निहाली पुत्री श्योचन्द
7. पूनम पुत्री शेरसिंह
8. बनारसी पुत्री देवकरण
9. मणी पुत्री देवकरण
10. मणी देवी पत्नी बुद्धराम
11. मुनेश पुत्री देवकरण
12. माईचन्द पुत्र बल्लाराम
13. अणची देवी पत्नी बल्लाराम
14. मानडी उर्फ मालडी पत्नी चन्दगीराम
15. मिश्री निमकौर पुत्री बल्लाराम
16. मोहिनी देवी पत्नी शेर सिंह
17. रजवण पत्नी देवकरण
18. रणसिंह पुत्र श्योचन्द
19. राजेश पुत्र श्योचन्द
20. राजेश पुत्र बुद्धराम
21. रामनिवास पुत्र चन्दगीराम
22. रोहिताश्व पुत्र चन्दगीराम
23. विजेन्द्र पुत्र चन्दगीराम




उपखण्ड अधिकारी बुढाना
जिला झुन्डुनू (राज.)

24. विनोद पुत्र श्याचन्द
25. श्रवण पुत्र चन्दनीराम
26. शान्ति पत्नी श्याचन्द
27. सजना पुत्री देवकराम
28. सन्तोष पुत्री देवकराम
29. सुनीता पुत्री शेरसिंह
30. सुभाष पुत्र श्याचन्द
31. हवसिंह पुत्र देवकराम
32. बेला पुत्री चन्दनी
33. माली पुत्री चन्दनी
34. अनिता पुत्री भोलाराम
35. गंगाराम पुत्र सालीन (श्रील)
- 35/1. धर्मवल पुत्र गंगाराम
- 35/2. तारावती पुत्री गंगाराम
- 35/3. शास्ता पुत्री गंगाराम
- 35/4. रेखा पुत्री शेरसिंह नवीरा गंगाराम
- 35/5. सिद्धू पुत्री शेरसिंह नवीरा गंगाराम
36. प्रतापी देवी पत्नी भोलाराम
37. प्यारेलाल पुत्र बृजाराम
38. प्रताप सिंह पुत्र बृजाराम
39. विमला पुत्री बृजाराम
40. मृदुल पुत्री नागर
41. मन्जू पुत्री नागर
42. मनीराम पुत्र भोलाराम
43. महेंद्र पुत्र बृजाराम
44. राजराम पत्नी बृजाराम
45. राजेश पुत्र बृजाराम
46. राहुल पुत्र नागर
47. विद्याधर पुत्र बृजाराम
48. सरयवीर पुत्र बृजाराम
49. सन्तोष पत्नी नागर
50. सुभाष पुत्र बृजाराम
51. सुमित्रा पुत्री भोलाराम
52. सरोज पुत्री भोलाराम


 सजस्य अधिकारी बृजना

- 53 बल्लाराम पुत्र सुम्मा
54 चन्द्रा पुत्री वृजाराज समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
55 बैंक मैनेजर बैंक ऑफ इंडीया शाखा बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
56 बैंक मैनेजर इंडीया राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
57 राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

-निर्णय:-

दिनांक:- 21/5/2025

(1) वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 182 के हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0 न0 23 रकबा 0.92 है0, ख0 न0 254 रकबा 0.13 है0, ख0 न0 255 रकबा 0.16 है0, ख0 न0 64 रकबा 0.94 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.71 है0, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 31 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का हिस्सा 1/80 भाग दर्ज है शेष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 31 दर्ज रिकार्ड है व खाता संख्या 183 के ख0 न0 268 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 269 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 619/303 रकबा 0.43 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का 1/20 हिस्सा भाग दर्ज है शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 33 दर्ज रिकार्ड है व खाता संख्या 184 के ख0 न0 193 रकबा 0.98 है0, ख0 न0 194 रकबा 0.99 है0, ख0 न0 196 रकबा 0.98 है0, ख0 न0 303 रकबा 0.76 है0, ख0 न0 304 रकबा 0.91 है0, ख0 न0 341 रकबा 0.96 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 5.58 है0, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 प्रतिवादी संख्या 10, प्रति0 सं0 12 लगा0 16 व प्रति0 सं0 18 लगा0 26, प्रति0 सं0 29 व 30 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का हिस्सा 1/20 भाग दर्ज रिकार्ड है शेष प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 प्रतिवादी संख्या 10, प्रति0 सं0 12 लगा0 16 व प्रति0 सं0 18 लगा0 26, प्रति0 सं0 29 व 30 दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 249 के ख0 न0 178 रकबा 1.55 है0, ख0 न0 180 रकबा


उपरोक्त अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

0.26 है0, ख0 न0 183 रकबा 0.72 है0, ख0 न0 184 रकबा 0.44 है0, ख0 न0 185 रकबा 0.45 है0, ख0 न0 186 रकबा 0.31 है0, ख0 न0 187 रकबा 0.38 है0, ख0 न0 188 रकबा 0.57 है0, ख0 न0 187 / 188 रकबा 1.88 है0, कुल कित0 9 कुल रकबा 9.16 है0, भूमि के खालेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादीनाम संख्या 1 व 3 लगात 7, प्रतिवादी संख्या 12 लगात 16 व प्रतिवादी संख्या 18 लगात 28, प्रति सं0 29, 30, प्रति सं0 34 लगात 54 दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/16 भाग व शेख प्रतिवादीनाम संख्या 1 व 3 लगात 7, प्रतिवादी संख्या 12 लगात 16 व प्रतिवादी संख्या 18 लगात 28, प्रति सं0 29, 30, प्रति सं0 34 लगात 54 दर्ज रिकार्ड है।


2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में योगित भूमि का वादी व प्रतिवादीनाम संख्या 1 लगात 54 ने बाहरी बटवारा कर रखा है उसी अनुसार सौके पर काबिज काश्त करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में लगेरक्त योगित भूमि समुक्त खालेदारी में दर्ज है जिसका विधिवत रूप से बटवारा नहीं हुआ है इसलिए वादी को अपनी भूमि के सुधार कार्य करने व किरान परिवर्तन करवाने में अनेक अत्युविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने का निश्चय किया। तथा वादी ने जब प्रतिवादीनाम को खाता विभाजन करवाने हेतु सम्पर्क कर पुछा तो प्रतिवादीनाम ने खाता विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए वादी को उक्त वाद का खाता विभाजन का पेश करना आवश्यक हुआ है।

3. यह कि आधार विवाद इस कारण पैदा हुआ कि जबकि वादी ने प्रतिवादीनाम को खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीनाम ने खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया। जिस कारण आधार विवाद पैदा हुआ। तो कि सावधि है।

यह कि प्रति संख्या 18, 19, 24, 30, 38, 43, 45, 47, 48 ने प्रति सं0 55 व 56 से अग्रण ले रखा है इसलिए आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 57 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क) कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 182 के हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0 न0 23 रकबा 0.92 है0, ख0 न0 254 रकबा 0.13 है0, ख0 न0 255 रकबा 0.16 है0, ख0 न0 64 रकबा 0.94 है0, कुल कित0 5 कुल रकबा 2.71 है0, वादी का हिस्सा 1/80 भाग व खाता संख्या 183 के ख0 न0 268 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 269 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 619/303 रकबा 0.43 है0, कुल कित0 3 कुल रकबा 1.53 है0 वादी का हिस्सा 1/20 हिस्सा भाग व खाता संख्या 184 के ख0 न0 193 रकबा 0.98 है0, ख0 न0 194 रकबा 0.99 है0, ख0 न0 196 रकबा 0.98 है0, ख0 न0 303 रकबा 0.76 है0, ख0 न0 304 रकबा 0.91 है0, ख0 न0 341 रकबा 0.96 है0, कुल


 अध्यक्ष अधिकारी बुहाना
 जिला झुझुनू (राज.)

किता 9 कुल रकबा 9.98 है, वादी का हिस्सा 1/20 भाग व खाता संख्या 249 के ख0 न0 178 रकबा 1.55 है, ख0 न0 180 रकबा 2.06 है, ख0 न0 183 रकबा 0.72 है, ख0 न0 184 रकबा 0.45 है, ख0 न0 185 रकबा 0.45 है, ख0 न0 186 रकबा 0.51 है, ख0 न0 187 रकबा 0.88 है, ख0 न0 191 रकबा 0.87 है, ख0 न0 807/188 रकबा 1.06 है, कुल किता 9 कुल रकबा 9.15 है, वादी का हिस्सा 1/16 भाग का खाता विभाजन बाहमी बटवारा व कब्जे काशन की प्राथमिकता देने हुए खाता विभाजन कर रूलस 18 से 21 तक वादी के हिस्से वाली भूमि तक रास्ता कायम करने हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 7, 12, 15, 19, 20, 29 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट द्वारा बकालतनामा/इकबालिया जवाब दावा मय प्रतिवादा दिनांक 13.07.2023 को पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 13.07.2024 को लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.08.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 183 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 180 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

बहस के अनुसार शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुरे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभियंताओं का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सवत् 2075-2078 वाके ग्राम ढाणी हुक्मा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 182, 183, 184, 249, में वादी व प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 7, 12, 15, 19, 20, 29 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काशन अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

डिस्ट्रिक्ट अधिकारी बुहाना
जिला हुक्मा (एच)


--:आदेश:-

“ न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिवादा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 7, 12, 15, 16, 20, 29 बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 182 के हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 0.56 हैक्टर, ख० न० 23 रकबा 0.92 है०, ख० न० 254 रकबा 0.13 है०, ख० न० 255 रकबा 0.16 है०, ख० न० 64 रकबा 0.94 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 2.71 है०, व खाता संख्या 183 के ख० न० 268 रकबा 0.55 है०, ख० न० 269 रकबा 0.55 है०, ख० न० 619/303 रकबा 0.43 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है० व खाता संख्या 184 के ख० न० 193 रकबा 0.98 है०, ख० न० 194 रकबा 0.99 है०, ख० न० 196 रकबा 0.98 है०, ख० न० 303 रकबा 0.76 है०, ख० न० 304 रकबा 0.91 है०, ख० न० 341 रकबा 0.96 है०, कुल किता 6 कुल रकबा 5.58 है०, व खाता संख्या 249 के ख० न० 178 रकबा 1.55 है०, ख० न० 180 रकबा 2.06 है०, ख० न० 183 रकबा 0.72 है०, ख० न० 184 रकबा 0.46 है०, ख० न० 185 रकबा 0.45 है०, ख० न० 186 रकबा 0.51 है०, ख० न० 187 रकबा 0.88 है०, ख० न० 191 रकबा 0.87 है०, ख० न० 607/186 रकबा 1.66 है०, कुल किता 9 कुल रकबा 9.16 है०, भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 7, 12, 15, 16, 20, 29 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-14” व नक्शा प्रदर्श “ब लगायत ब-2” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-14” व नक्शा प्रदर्श “ब लगायत ब-2” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-14” व नक्शा प्रदर्श “ब लगायत ब-2” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”




(सुमन देवी II) बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 21.5.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।


(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला प्रभुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 141/2022

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/442


शैतान सिंह बनाम कमल आदि

दावा बाबत- खाता विभाजन


-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री अनुप सिंह एडवोकेट की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुकेश चौधरी एड. की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 7, 12, 15, 16, 20, 29 बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्बत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 182 के हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0 न0 23 रकबा 0.92 है0, ख0 न0 254 रकबा 0.13 है0, ख0 न0 255 रकबा 0.16 है0, ख0 न0 64 रकबा 0.94 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.71 है0, व खाता संख्या 183 के ख0 न0 268 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 269 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 619/303 रकबा 0.43 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 व खाता संख्या 184 के ख0 न0 193 रकबा 0.98 है0, ख0 न0 194 रकबा 0.99 है0, ख0 न0 196 रकबा 0.98 है0, ख0 न0 303 रकबा 0.76 है0, ख0 न0 304 रकबा 0.91 है0, ख0 न0 341 रकबा 0.96 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 5.58 है0, व खाता संख्या 249 के ख0 न0 178 रकबा 1.55 है0, ख0 न0 180 रकबा 2.06 है0, ख0 न0 183 रकबा 0.72 है0, ख0 न0 184 रकबा 0.46 है0, ख0 न0 185 रकबा 0.45 है0, ख0 न0 186 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 187 रकबा 0.88 है0, ख0 न0 191 रकबा 0.87 है0, ख0 न0 607/186 रकबा 1.66 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 9.16 है0, भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 7, 12, 15, 16, 20, 29 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब लगायत ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब लगायत ब-2" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-14" व नक्शा प्रदर्श "ब लगायत ब-2" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्या डिक्री जारी हो। "



यह आज तारीख 21/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

(समन देवे II)
अध्यक्ष अधिकारी बुहाना
उपरखण्ड अधिकारी एवं
जिला बुधन (राज)

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना